BRSU010016312021

Presented on : 07-04-2021
Registered on : 07-04-2021
Decided on : 09-06-2026
Duration: 5 years, 2 months, 2 days

न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सुपौल, बिहार

भरण–पोषण वाद संख्या :– 31/2021

सी0आई0एस0 संख्या :– 31/2021

1. [redacted], उम्र करीब–22 वर्ष, पति–[redacted], पिता–[redacted]
2. [redacted], उम्र करीब–6 वर्ष, पिता–[redacted] और माता–[redacted]

सा0–बलवा पूर्णवास, वार्ड नं0–01, नगर परिषद् सुपौल, थाना + जिला–सुपौल।

——————————————————आवेदिका

बनाम

1. [redacted], पिता :–[redacted]

सा0–भगवानपुर, वार्ड नं0–06, गौनहा, हरिहरपट्‌टी, थाना–त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल।

——————————————————विपक्षी

आवेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता :– 1. श्री शरद कुमार, विद्वान अधिवक्ता, सुपौल

विपक्षी की ओर से :———————— 1. श्री संजय कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता, सुपौल।

निर्णय तिथि :–09वीं, जून, 2026

आदेश

1. वर्तमान वाद आवेदिका [redacted] एवं अपने नावालिग पुत्र [redacted] द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विपक्षी [redacted] के विरूद्ध भरण–पोषण के रूप में 25,000/– (पचीस हजार) रुपया प्रतिमाह प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदिका का वाद

2. आवेदिका [redacted]ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत दिनांक–07.04.2021 को प्रस्तुत अपने आवेदन में मुख्य रूप से यह अभिकथन किया है कि आवेदिका [redacted] एवं विपक्षी दोनों पति–पत्नी हैं एवं उसकी शादी विपक्षी के साथ 25 मई 2014 को हिन्दु रीति–रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी तथा शादी के उपरांत उसे अपने पति [redacted] से एक पुत्र पैदा हुआ जो वर्तमान में लगभग 6 वर्ष का है।

3. आवेदिका का आरोप है कि शादी के उपरान्त वह अपनी पत्नी [redacted] को मान्सिक व शारीरिक प्रताड़ना के साथ–साथ अपनी पत्नी [redacted] की हत्या का प्रयास किये जाने के आलोक में आवेदिका द्वारा महिला थाना, सुपौल में प्राथमिकी सं0–63/2020 अन्दर धारा 341, 323, 498(A), 325, 308/34 भा0द0वि0 विपक्षी पति के विरूद्ध मुकदमा दायर की है। मुकदमा के लंबित रहने के दौरान विपक्षी पति ने छातापुर थाना स्थित सुरजापुर झुनकी चौक से पश्चिम परसा बिरबल भोला बाबा मंदिर में अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से वह अपनी दुसरी शादी [redacted], पिता–[redacted], सा0+पो0–चुन्नी, वार्ड नं0–07,

थाना—छातापुर, जिला—सुपौल के साथ दिनांक—12.02.2021 को रात्रि लगभग 11:00 बजे दूसरा विवाह कर अपने घर ले आया और वह अपनी दुसरी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगा है। आवेदिका का आगे कथन है कि त्रिवेणीगंज थाना के पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से दिनांक—26.06.2020 को विपक्षी पति एवं ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के कब्जे से छुड़ाकर मुक्त किये जाने के बाद से वह अपने माता—पिता के यहॉ निवास करती है और वे लोग अत्यन्त गरीब होने के कारण अपनी बेटी [redacted] को भरण—पोषण करने में असमर्थ है।

4. दूसरी ओर, विपक्षी पति अनाज का खरीद—बिक्री, खेतीबारी तथा मजदूरी के माध्यम से लगभग पचास हजार रुपया प्रतिमाह कमाता है। विपक्षी के पास लगभग 6 बीघा जमीन है उससे उसे लगभग 10,000 / — से 15,000 / — रुपया की मासिक आमदनी होती है। आवेदिका [redacted] को भरण—पोषण करने हेतु अपने विपक्षी पति से कम से कम 25,000 / — रुपया प्रतिमाह दिलाने हेतु प्रार्थना की है।

<u>विपक्षी का वाद</u>

5. विपक्षी [redacted] द्वारा दिनांक—16.02.2022 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर / कारण पृच्छा के माध्यम से कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद आवेदिका [redacted] की ओर से अपने विपक्षी पति से भरण—पोषण के रूप में 25,000 / — रुपया प्रतिमाह दिलवाने का प्रार्थना किया गया है। विपक्षी की शादी आवेदिका [redacted] के साथ 25 मई 2014 को हुआ था तदनुपरांत उसे अपने पति [redacted] से एक पुत्र [redacted], उम्र लगभग 6 वर्ष बतायी गई है पैदा हुआ। आवेदिका [redacted] अपने प्रस्तुत आवेदन में अपने पुत्र [redacted] का उम्र—6 वर्ष अंकित किया है तथा वह प्रस्तुत भरण—पोषण आवेदन दिनांक—06.04.2021 को प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि उसकी शादी के कुछ ही दिनों के बाद उनके पुत्र [redacted] पैदा हुआ तथा उसी कारण से दोनों पति—पत्नी (आवेदिका सं0—01 एवं विपक्षी) के बीच मनमुटाव हो गया।

6. विपक्षी का आगे कथन है कि आवेदिका [redacted] द्वारा प्रस्तुत आवेदन के कंडिका—5 में कथन की है जो बिल्कुल ही गलत व भ्रामक है क्योंकि विपक्षी निरक्षर एवं निहायत ही गरीब व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी कर वह देहारी के रूप में 300 / — रुपया प्रतिदिन कमाता है और उसी पैसे से अपने तथा अपने परिवार का भरण—पोषण करता है। वह अपने प्रस्तुत के कंडिका—6 में जो कथन की है वह भी बिल्कुल ही गलत है क्योंकि विपक्षी के पास मात्र 8 कट्ठा जमीन जो कि उपजाउ भी नहीं है जिसमें पानी एवं बालू सालों भर लगा रहता है।

7. विपक्षी का आगे कथन है कि आवेदिका [redacted] द्वारा महिला थाना सुपौल में विपक्षी एवं विपक्षी के परिवार के अन्य सदस्यों के विरूद्ध दिनांक—06.07.2020 को महिला थाना कांड सं0—63 / 2020 अंदर धारा—341, 323, 498ए, 325, 308 / 34 भा0द0वि0 एवं 3 / 4 दहेज प्रताड़ना अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया है जिसमें आवेदिका [redacted] द्वारा बताया गया है कि प्राथमिकी दर्ज होने से 20 दिन पूर्व आवेदिका [redacted] को वे लोग के द्वारा (विपक्षीगण) घर से निकाल दिया गया उस दिन से उसका पुत्र [redacted] अपने पिता [redacted] के साथ रहता है तथा उसका पुत्र [redacted] का खाना—पीना, पढ़ाई—लिखाई का खर्च अपने पिता [redacted] के द्वारा यथासंभव वहन किया जा रहा है।

8. विपक्षी का आगे कथन है कि विपक्षी पूर्णतया गरीब एवं निरक्षर व्यक्ति है और उसे गॉव में मुस्किल से महीने में 15 दिन का मजदूरी का काम मिलता है तथा उसी मजदूरी के पैसा से विपक्षी अपना तथा अपने पुत्र का भरण–पोषण करता है। वह कई बार अपने ससुराल से अपने पुत्र [redacted] को लाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा आवेदिका [redacted] द्वारा अपने पति [redacted] एवं विपक्षी के भाई तथा भौजाई को भी नोटिस निर्गत किया गया है।

9. प्रस्तुत वाद में विपक्षी की ओर से स्वंय का साक्ष्य एवं अन्य साक्षी का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया और न ही विपक्षी की ओर से सम्पत्ति एवं देनदारी(Assets & Liability) का शपथ पत्र एवं कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया और अन्ततः दिनांक 11.12.2025 को विपक्षी के साक्ष्य को बंद किया गया अतः दिनांक–04.04.2026 को विपक्षी के बचाव पक्ष को खारीज किया गया।

<u>प्रकियात्मक इतिहास</u>

10. आवेदिकागण द्वारा भरण–पोषण वाद दं0प्र0सं0 की धारा 125 के अन्तर्गत दिनांक 07.04.2021 को प्रस्तुत किया गया है, वर्चुअल माध्यम से प्रतिग्रहण के बिन्दु पर आवेदिका एवं आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना। न्यायालय द्वारा अभिलेख के अवलोकन करने के उपरांत अर्थात सुनवाई के पश्चात् दिनांक–23.07.2021 को ग्रहण किया गया। ग्रहण करने के उपरांत न्यायालय द्वारा आवेदिका को निर्देश दिया गया कि विपक्षी की उपस्थिति हेतु नजारत एवं निबंधित डाक से सम्मन की कार्रवाई करें। प्रस्तुत वाद में नोटिस निर्गत किये जाने के उपरान्त विपक्षी शक्तिपत्र के साथ दिनांक 23.09.2021 को उपस्थित हुए तथा दिनांक–08.12.2021 को विपक्षी के अनुपस्थित रहने के कारण समझौता वार्ता नही हो सका और अभिलेख को विपक्षी को अपना कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक–16.02.2022 को विपक्षी की ओर से शपथ–पत्र से समर्थीत अपना कारण पृच्छा प्रस्तुत किया गया।

11. दिनांक–12.07.2022 को आवेदिका की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में समय का आवेदन दिया गया। दिनांक–20.08.2022 को आवेदिका की ओर से एक आवेदन आवेदिका के स्वंय के अतिरिक्त अपने पुत्र [redacted] को भी भरण–पोषण के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। दिनांक–04.10.2023 को आवेदिका की ओर से आवेदक सं0–02 [redacted] को मूल अर्जी में अंकित करने हेतु प्रस्तुत किया गया। दिनांक–21.01.2026 को न्यायालय द्वारा अवलोकन करने के उपरांत आवेदक सं0–02 [redacted] का नाम वाद पत्र में अंकित किया गया। दिनांक–24.03.2026 को आवेदिका की ओर से सम्पत्ति एवं देनदारी(Assets & Liability) का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। दिनांक–07.01.2025 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश से 100/– रुपये के कॉस्ट पर आवेदिका को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया।

12. आवेदिका की ओर से साक्षी संख्या–01 [redacted], आवेदिका साक्षी सं0–02 [redacted] तथा आवेदिका साक्षी सं0–03 [redacted] का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है तथा जिनका साक्ष्य संकलन क्रमशः दिनांक 17.10.2023, दिनांक–30.01.2024 तथा दिनांक–20.02.2025 को हुआ। अन्ततः दिनांक 12.06.2025 को आवेदिका की ओर से साक्ष्य बंद किये जाने हेतु दिये गये

आवेदन के आलोक में आवेदिका का साक्ष्य बंद करते हुए अभिलेख को विपक्षी के साक्ष्य हेतु नियत किया गया।

13. प्रस्तुत वाद में विपक्षी की ओर से स्वंय का साक्ष्य एवं अन्य साक्षी का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया और न ही विपक्षी की ओर से सम्पत्ति एवं देनदारी(Assets & Liability) का शपथ पत्र एवं कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया और अन्ततः दिनांक 11. 12.2025 को विपक्षी के साक्ष्य को बंद किया गया अतः दिनांक–04.04.2026 को विपक्षी के बचाव पक्ष को खारीज किया गया। अभिलेख को दिनांक–09.06.2026 को कानूनी बिन्दु पर सुनवाई हेतु रखा गया।

<u>आवेदिका का बहस</u>

14. बहस के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि साक्षियों ने आवेदिका के वाद का पूर्ण रूप से समर्थन किये हैं। आवेदिका के साक्षियों का साक्ष्य अकाट्य, अटूट है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि, आवेदिका ने अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्णतया सफल रही हैं और आवेदिका को उचित भरण–पोषण की राशि मिलना न्यायहित में अतिआवश्यक है।

<u>विपक्षी का बहस</u>

15. प्रस्तुत वाद में विपक्षी की ओर से स्वंय का साक्ष्य एवं अन्य साक्षी का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया और न ही विपक्षी की ओर से सम्पत्ति एवं देनदारी(Assets & Liability) का शपथ पत्र एवं कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया और विपक्षी या उनके अधिवक्ता के जानबुझकर प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण विपक्षी का बहस नहीं सुना जा सका।

<u>विश्लेषण, विनिश्चय एवं विनिश्चय के कारण</u>

<u>आवेदिका की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य</u>

16. आवेदिका के वाद को प्रमाणित करने हेतु कुल तीन गवाहों का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया गया हैः–

(i) आवेदिका साक्षी सं0–1ः [redacted] (आवेदिका की मामी)

(ii) आवेदिका साक्षी सं0–2ः [redacted] (आवेदिका का भाई)

(iii) आवेदिका साक्षी सं0–3ः [redacted] (स्वंय आवेदिका सं0–01)

17. आवेदिका साक्षी संख्या–1 [redacted] है। इन्होंने अपने शपथ–पत्र पर दिये गये अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दोनों पक्षकार को जानती है। उसकी शादी विपक्षी के साथ वर्ष 2014 में बलवा पुनर्वास, वार्ड नं0–01, सुपौल स्थित उसके घर पर हुई थी। आवेदिका [redacted] को अपने पति से एक पुत्र है जो वर्तमान में उसका आयु 7–8 वर्ष है। आवेदिका का आरोप है कि आवेदिका [redacted] को विपक्षी पति एवं उसके ससुराल वाले दहेज हेतु मारपीट करते थे।

18. आवेदिका का आगे कथन है कि वह अपने पीहर में पिछले तीन वर्ष से अधिक समय से रह रही है। आवेदिका [redacted] एवं उसके पुत्र [redacted] का भरण–पोषण किसी तरह उसका मॉ–भाई करता है जो बहुत गरीब है। तबीयत ठीक रहने पर वह कभी–कभी मजदूरी भी करती है। आवेदिका [redacted] के अपने ससुराल में बहुत पैसा और जमीन है। दूसरी

ओर, विपक्षी पति अनाज खरीद–बिक्री, खेतीबारी और बाहर जाकर मजदूरी का काम भी करता है उससे उसे 50,000–60,000/– रुपया महीना कमाता है।

19. इस साक्षी ने विपक्षी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि विपक्षी का घर ग्राम–भगवानपुर, थाना–त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल है। साक्षी ग्राम–भगवानपुर गई थी परन्तु तारीख व साल याद नहीं है। वह ग्राम–भगवानपुर सिर्फ एक बार गई है। आज से कितने वर्ष पूर्व भगवानपुर गई थी यह याद नहीं है। भगवानपुर में साक्षी रूकी नहीं थी।

20. आवेदिका का आगे कथन है कि विपक्षी के पास लगभग 6 बीगहा जमीन है। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास मात्र दस कठा जमीन है। वह मजदूरी करता है और साथ में खेती तथा अनाज का खरीद–बिक्री भी करता है। साक्षी को यह बात उसकी भांजी [redacted] बताई। एक दिन की मजदूरी के लिए वह 500–600/– रुपये देती है। आवेदिका [redacted] साक्षी की भांजी है।

21. आवेदिका का आगे कथन है कि वह अपने पति [redacted] पर एक और केस की हुई है। साक्षी को यह जानकारी नहीं है कि उस केस में विपक्षी के द्वारा अपनी पत्नी [redacted] को प्रतिमाह चार हजार रुपया दिया जाता है या नही। शपथ पत्र जो दाखिल हुआ है उसे साक्षी नहीं पढ़ा है क्योंकि वह पढ़ी–लिखी नहीं है। वह सिर्फ हस्ताक्षर करना जानती है। ऐसी बात नहीं है कि साक्षी आवेदिका [redacted] की मामी है जिस कारण वह झूठा और गलत शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल की है और झूठी गवाही दी है। ऐसी बात नहीं है कि विपक्षी गॉव में मजदूरी करता है उसे मजदूरी से 8,000–9,000/– रुपया प्रतिमाह प्राप्त होता है।

22. आवेदिका साक्षी संख्या–2 [redacted] है। इन्होंने अपने शपथ–पत्र पर दिये गये अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दोनों पक्षकार को जानता है। उसकी शादी विपक्षी के साथ 25 मई 2014 को बलवा पुनर्वास, वार्ड नं0–01, सुपौल स्थित उसके भाई के घर पर हुई थी। उसे अपने पति [redacted] से एक पुत्र [redacted] है जो वर्तमान में उसका आयु 8–9 वर्ष है। आवेदिका का आरोप है कि आवेदिका [redacted] को विपक्षी एवं उसके ससुराल वाले अपने ससुराल में रहने के दौरान दहेज हेतु खूब मारपीट करते थे।

23. वह अपने पीहर में पिछले तीन वर्ष से अधिक समय से रह रही है। आवेदिका [redacted] एवं उसके पुत्र [redacted] का भरण–पोषण किसी तरह साक्षी का परिवार करता है। तबीयत ठीक रहने पर वह कभी–कभी मजदूरी भी करती है। आवेदिका [redacted] के अपने ससुराल में बहुत पैसा और जमीन है। विपक्षी को बास एवं खेत का लगभग 15 कट्ठा जमीन कीमत लगभग 30,00,000–35,00,000/– रुपया का कागजात विपक्षी के नाम से है। विपक्षी अनाज खरीद–बिक्री, खेतीबारी और बाहर जाकर मजदूरी का काम भी करता है और उससे उसे लगभग 70,000–80,000/–रुपया महीना कमाता है।

24. इस साक्षी ने विपक्षी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि आवेदिका [redacted] साक्षी की बहन है। शादी के बाद वह अपनी बहन [redacted] एवं विपक्षी उसके ससुराल लगभग 10 से 15 बार गया है। वहॉ साक्षी लगभग एक से तीन दिन तक रूकता था।

25. विपक्षी के पास लगभग 15 कट्ठा जमीन है। वह खेतीबारी करता है और वह मजदूरी का काम बाहर जाकर करता है तथा अनाज खरीद–बिक्री का काम करता है। विपक्षी को दो भाई एवं एक बहन है। विपक्षी के माता–पिता जिन्दा हैं। वर्तमान में दोनों भाई अलग–अलग

रहते हैं। विपक्षी के माता–पिता किस भाई के साथ रहते हैं वह नहीं बता सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वह सिर्फ मजदूरी करता है तथा वह अपने माता–पिता के साथ रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि विपक्षी को मजदूरी से वह आमदनी होती है वह पॉच से सात हजार रुपया होता है।

26. आवेदिका साक्षी संख्या–3 [redacted] है आवेदिका स्वंय है। इन्होंने अपने शपथ–पत्र पर दिये गये अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि प्रस्तुत वाद वह अपना एवं अपने नावालिग पुत्र [redacted], उम्र–10 वर्ष के भरण–पोषण हेतु अपने पति [redacted] के विरूद्ध मुकदमा दायर की है। उसकी शादी विपक्षी के साथ 25 मई 2014 को बलवा पुनर्वास, वार्ड नं0–01, सुपौल स्थित आवेदिका [redacted] के पैतृक घर पर हुई थी। उसे अपने पति [redacted] से एक पुत्र [redacted] है जो वर्तमान में उसका आयु 10 वर्ष है और वह पिछले तीन वर्ष से अपने पिता [redacted] से अलग तथा अपने मां [redacted] के साथ रहता है।

27. आवेदिका का आरोप है कि वह अपनी पत्नी [redacted] के साथ बराबर मारपीट करता रहता था और दहेज मॉगता था तथा उसकी हत्या का भी प्रयास किया था जिसके संबंध में आवेदिका [redacted] द्वारा महिला थाना सुपौल में पॉच वर्ष पूर्व 63/2020 मुकदमा दायर हुआ था। आवेदिका [redacted] को पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से उनके ससुराल से साढ़े चार–पॉच साल पूर्व पीहर लाया गया था अन्यथा उसकी हत्या हो जाती। वह पिछले लगभग साढ़े चार–पॉच साल से अपने पीहर में रहती है। आवेदिका [redacted] का भाई किसी तरह मजदूरी करके एवं समाज से हाथ पैंचा लेकर अपनी बहन [redacted] एवं उसके पुत्र [redacted] का भरण–पोषण करता है। तबीयत ठीक रहने पर वह कभी–कभी मजदूरी करके किसी तरह जीवनयापन करती है।

28. आवेदिका का आगे कथन है कि वह चार वर्ष पूर्व [redacted] नाम की लड़की से दूसरी शादी कर लिया है और उसी के साथ अभी रहता है। बहुत गरीब होने एवं पैसा का अभाव होने के कारण आवेदिका [redacted] अपना एवं अपने नावालिग पुत्र [redacted] का जीवन बहुत कष्ट में बीतता है। दूसरी ओर, विपक्षी अनाज का खरीद–बिक्री, खेती और मजदूरी से लगभग पचास हजार रुपया महीना कमाता है। आवेदिका [redacted] के ससुराल में लगभग 6 बीघा जमीन है जिसमें 15 कट्ठा जमीन विपक्षी के नाम से है जो लगभग 30,00,000–35,00,000/– रुपया का है। विपक्षी से आवेदिका [redacted] को पचीस हजार रुपया महीना भरण–पोषण की आवश्यकता है ताकि वह अपना एवं अपने पुत्र [redacted] का देखभाल, ईलाज, जीवन–यापन अच्छे ढंग से कर सके। आवेदिका [redacted] को विपक्षी से पचीस हजार रुपया मासिक दिलाया जाय।

29. इस साक्षी ने विपक्षी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि विपक्षी के विरूद्ध इस मुकदमा के अलावा चार अन्य केस की है। वर्तमान में अपने पति [redacted] के द्वारा आवेदिका [redacted] को माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में पैसा नहीं दिया जा रहा था। पूर्व में चार हजार रुपया प्रतिमाह दे रहे थें। विपक्षी दूसरी शादी [redacted] से की है। शादी आवेदिका [redacted] के कहने पर नहीं किया था दूसरे के कहने पर किया था। वह अपने पति [redacted] की शादी होते अपनी ऑखों से नहीं देखी है बल्कि शादी की फोटो आवेदिका [redacted] को भेजी थी। विपक्षी मजदूरी करने बाहर भी जाते है तथा वह

खेती–गृहस्थी भी करते है। ऐसी बात नहीं है कि वह मजदूरी के अतिरिक्त अन्य काम नहीं करते है।

<u>आवेदिका की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य</u>

30. आवेदिका ने अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किए हैं।

<u>विचारणीय बिंदु</u>

31. इस वाद में प्रमुख विचारणीय बिन्दु यह है कि–ः

(i) क्या आवेदिका [redacted] विपक्षी [redacted] की विवाहिता पत्नी तथा आवेदक नाबालिग [redacted] विपक्षी के संतान है?

(ii) क्या विपक्षी [redacted] बिना पर्याप्त कारण के अपनी पत्नी एवं नाबालिग पुत्र के भरण–पोषण की उपेक्षा कर उनका भरण–पोषण करने से इंकार कर दिया है? तथा क्या आवेदिका [redacted] के पास विपक्षी से अलग रहने का युक्तियुक्त कारण है?

(iii) आवेदकगण स्वंय के भरण–पोषण करने में असमर्थ है?

(iv) क्या विपक्षी [redacted] के पास अपनी पत्नी एवं नाबालिग पुत्र को भरण–पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध है? यदि हॉ, तो आवेदकगण भरण–पोषण की कितनी राशि प्राप्त करने के अधिकारी है?

<u>मंतव्य</u>

32. **<u>विचारण बिन्दु संख्या–</u>**(i) क्या आवेदिका [redacted] विपक्षी [redacted] की विवाहिता पत्नी तथा आवेदक नाबालिग [redacted] विपक्षी के संतान है?ः–विपक्षी ने अपने प्रतिउत्तर के कंडिका–2 में स्पष्टतः स्वीकार किया है कि उसका विवाह आवेदिका से दिनांक–25.05.2014 को हुई थी तथा उनके दाम्पत्य जीवन से एक पुत्र का जन्म हुआ था। चूकि विपक्षी स्वंय विवाह एवं पितृत्व स्वीकार किया है अतः विचारण बिन्दु संख्या–01 आवेदकगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

33. **<u>विचारण बिन्दु संख्या–</u>**(ii) क्या विपक्षी [redacted] बिना पर्याप्त कारण के अपनी पत्नी एवं नाबालिग पुत्र के भरण–पोषण की उपेक्षा कर उनका भरण–पोषण करने से इंकार कर दिया है? तथा क्या आवेदिका [redacted] के पास विपक्षी से अलग रहने का युक्तियुक्त कारण है?ः– आवेदिका का कथन है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और जेठानी के साथ पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर उसे बुरी तरह से पीटा गया और उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। आवेदिका साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना के बीस दिन पूर्व उसे घसीटकर पीटा गया, उसके दॉत तोड़ दिये गये और कनपटी पर बंदूक सटाकर जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसी परिस्थिति में किसी भी महिला से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती वह उस घर में निवास करे जहॉ उसके जीवन पर संकट हो।

34. विपक्षी का तर्क है कि आवेदिका अपने इच्छा से घर छोड़कर चली गई। आवेदिका का आरोप है कि विपक्षी ने [redacted] से अपनी दुसरी शादी कर लिया है जिसका खंडन विपक्षी द्वारा आवेदिका के प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है। पति द्वारा दूसरी महिला के साथ रहना या दूसरी शादी करना पत्नी के लिए अपने पति से अलग रहने का पर्याप्त कारण है।

35. विपक्षी द्वारा आवेदकगण का इतने वर्षो तक कोई खोज–खबर न लेना तथा साक्ष्य प्रक्रिया से भाग जाना स्पष्टतः 'उपेक्षा' को प्रमाणित करता है। अतः विचारण बिन्दु सं0–(ii) आवेदिका के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

36. **<u>विचारण बिन्दु संख्या–</u>**(iii) आवेदकगण स्वंय के भरण–पोषण करने में असमर्थ है?:– आवेदिका ने अपने साक्ष्य एवं आय–व्यय से संबंधित शपथ–पत्र में कथन किया है कि वह वर्तमान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा पर रसोइया का कार्य कर रही है जिसके एवज में उसे मात्र–9,000/– रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक मिलता है। वह और उसका बच्चा मायके में आश्रित है। आवेदिका कुछ धन अर्जित कर रही है, अतः वह भरण–पोषण करने में समर्थ है नहीं कहा जा सकता है। भरण–पोषण करने में असमर्थ का अर्थ पूर्णतः निराश्रित या भिखारी होना नही है। इसका अर्थ यह है कि पत्नी की आय इतनी होनी चाहिए कि वह उसी जीवन स्तर को बनाये रखे जिसकी वह अपने ससुराल के घर में रह रही थी।

37. इस महंगाई के दौर में मात्र 9,000/– रुपये की संविदागत आय और 11 वर्ष के बढ़ते हुए पुत्र के सम्मानजनक जीवन–यापन के लिए पर्याप्त नही हो सकती है जहॉ पुत्र की शिक्षा, विद्यालय की फीस, चिकित्सा, आहार और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवेदिका ने बच्चे के खर्च के लिए 10,000/– रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता दशार्यी है। अतः न्यायालय यह पाती है कि आवेदिका अपनी अल्प आय से स्वंय एवं अपने पुत्र का सम्पूर्ण भरण–पोषण करने के लिए व्यवहारिक दृष्टि से पूर्णतः समर्थ नही है। अतः विचारण बिन्दु सं0–(iii) आवेदिका के पठन में निर्णित किया जाता है।

38. **<u>विचारण बिन्दु संख्या–</u>**(iv) क्या विपक्षी [redacted] के पास अपनी पत्नी एवं नाबालिग पुत्र को भरण–पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध है? यदि हॉ, तो आवेदकगण भरण–पोषण की कितनी राशि प्राप्त करने के अधिकारी है?:– आवेदिका एवं उसके साक्षियों का दावा है कि विपक्षी अनाज व्यापार, कृषि कार्य एवं मजदूरी से कुल 50,000–70,000/– रुपये मासिक आय प्राप्त करता है। इसके साथ ही विपक्षी को 15 कठ्ठा आवासीय एवं कृषि भूमि भी है जिसका मुल्य 30–35 लाख रुपये है। इसके विपरीत विपक्षी ने स्वंय को एक गरीब निरक्षा मजदूर बताया है जो महीने में 15 दिन काम पाकर दिन का 300/– रुपये, कुल 4500/– रुपये कमाता है। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक स्वस्थ्य पुरूष विधिक, नैतिक एवं सामाजिक रूप से अपनी पत्नी एवं बच्चों का भरण–पोषण करने के लिए पूर्णतः बाध्य है। वह यह कहकर अपने दायित्व से नहीं बच सकता कि वह बेरोजगार है, उसकी आय कम है या वह केवल मजदूरी करता है। यदि विपक्षी सत्य में इतना गरीब और साधनहीन है तो उसे साक्षी के रूप में उपस्थित होकर अपनी आय, बंजर भूमि के दावे और सम्पत्तियों के संबंध में साक्ष्य देकर सत्यता प्रमाणित करने हेतु आवेदिका की ओर से प्रतिपरीक्षण का सामना करता। विपक्षी द्वारा आवेदिका के साक्षियों का पूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया परन्तु जब उसका स्वंय का साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय आया तो वह न्यायालय में जानबूझकर अनुपस्थित हो गया जिसके फलस्वरूप अन्ततः न्यायालय को विवस होकर उसका साक्ष्य दिनांक–11.12.2025 को बंद करना पड़ा। विपक्षी द्वारा साक्ष्य देने से पलायन कर जाना इस तथ्य का परिचायक है कि वह अपनी वास्तविक आय और सम्पत्ति को न्यायालय से जानबूझकर छिपाना चाहता है और आवेदिका द्वारा बताये गये 15 कठ्ठा भूमि के तथ्य में सत्यता है।

39. न्यायालय के समक्ष आवेदिका द्वारा दावा की गई 50,000–70,000/– रुपये प्रतिमाह विपक्षी की आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य जैसे बैंक स्टेटमेन्ट, आयकर रिटर्न, अभिलेख पर उपलब्ध नही है। फिर भी मात्र इस आधार पर यह मानना अनुचित है कि एक सक्षम पुरूष मात्र 4500/– रुपये प्रतिमाह कमाता है।

40. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा '*रजनेश बनाम नेहा,* (2021) 2 एस0सी0सी0 324' में निर्धारित दिशा–निर्देशों के आलोक में न्यायालय को भरण–पोषण की राशि तय करते समय पक्षकारों की सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत, मुद्रास्फीति की वर्तमान दर, पत्नी की स्वतंत्र आय, बच्चे की उम्र, और उसकी बढ़ती हुई शिक्षा व चिकित्सा खर्च को ध्यान में रखना है। इस वाद कि आवेदिका स्वंय संविदा के आधार पर 9000/– रुपये मासिक आय प्राप्त करती है जो विपक्षी के लिए राहत की बात है। परन्तु 11 वर्षीय पुत्र [redacted] के पालन–पोषण, विद्यालय की भारी फीस, पुस्तके, कपड़े, दवाईयॉ और उसके सर्वांगीय विकास की सम्पूर्ण जिम्मेदारी केवल माता के कंधो पर नही डाली जा सकती है। पिता के रूप में विपक्षी का यह दायित्व है कि वह अपने पुत्र के विकास में यथोचित आर्थिक योगदान दे। साथ ही पत्नी का जीवन स्तर उस स्तर के बराबर होना चाहिए जो उसे अपने ससुराल में प्राप्त होता।

41. उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि विपक्षी की अनुमानित मासिक आय कम से कम 20,000–25,000/– रुपये न्युनतम मजदूरी एवं कृषि को मिलाकर आंकी जानी चाहिए। अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में यह न्यायालय उभय पक्षों की आर्थिक स्थितियों का संतुलन बनाते हुए, विपक्षी [redacted] पर प्रतिमाह कुल 5,000/–(पॉच हजार) रुपये का भरण–पोषण का भार अधिरोपित करना उचित पाती है। चूकि आवेदिका स्वंय कुछ आय अर्जित करती है, अतः आवेदिका के लिए मो0–2,000/–(दो हजार) रुपये और बढ़ते हुए नावालिग पुत्र के शिक्षा एवं पूर्ण विकास के लिए मो0 3000/–(तीन हजार) रुपये निर्धारित की जाती है।

<u>आदेश</u>

42. आवेदिका [redacted] की ओर से प्रस्तुत भरण–पोषण वाद संख्या 31/2021 बिना ससंघर्ष के एवं व्यय रहित आंशिक रूप से स्वीकृत किया जाता है। विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि, वे आवेदिका [redacted] के भरण–पोषण के लिए प्रति माह मो0 2,000 (दो हजार) रूपये तथा उसकी पुत्र [redacted] को मो0 3,000 (तीन हजार) रूपये कुल 5,000 (पांच हजार) भुगतान करेंगे। भरण–पोषण की राशि भरण–पोषण आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि यानी दिनांक 7.04.2021 से प्रभावी होगी और भरण–पोषण की उक्त राशि का भुगतान प्रत्येक माह के आने वाली अगले माह के दस तारीख तक किया जायेगा। पूर्व के बकाया राशि का भुगतान छः बराबर किश्तों में किया जायेगा। पहले किश्त का भुगतान अप्रैल माह के भरण–पोषण की राशि के साथ की जायेगी। भरण–पोषण की राशि का भुगतान नहीं करने को गंभीरता से लिया जायेगा तथा भुगतान नहीं किये जाने पर सभी संबंधित प्रतिपीड़न उपचार अपनाकर भरण–पोषण की राशि वसूल करायी जायेगी। आवेदिकागण को वाद प्रस्तुत होने के उपरांत यदि कोई भरण–पोषण की राशि दी गयी है तो उक्त राशि को प्रस्तुत वाद में दिये गये भरण–पोषण की राशि में समायोजित की जायेगी। विपक्षी की देनदारी बचे हुए राशि के लिए ही होगी।

43. कार्यालय संपूर्ण अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

निर्णय आज दिनांक–09.06.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा श्रुतलिखित, टंकित, उद्घोषित, दिनांकित और हस्ताक्षरित किया गया।

लेखापित

(राहुल उपाध्याय)
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सुपौल
09.06.2026

मेरे द्वारा निर्णय टंकित कराया, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया

(राहुल उपाध्याय)
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सुपौल
09.06.2026

Order uploaded on-09-06-2026

by Rakesh kumar

(Steno)